

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर  
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: ए 7/सहरिया/सीटीएडी/एनीकट/2020-21/

दिनांक :

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,  
सहरिया विकास परियोजना शाहबाद,  
जिला बारां।

विषय :- एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य की संशोधित वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 16731-39 दिनांक 30.06.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में अधिषाशी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारां से पीपल्दा एनिकट निर्माण कार्य छिनोद, किशनगंज एवं नागोरी एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य शाहबाद जिला बारां कार्यों की वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 83.39 लाख की जारी की गई गइ थी। विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 71/2020 दिनांक 24.03.2021 राशि रु. 83.39 लाख राज्य सरकार द्वारा सीधे ही कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति शाहबाद (बारां) के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की गई है:-

कार्यकारी एजेन्सी- जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारां

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		0.25 % कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में
			क्र./दि.	राशि	
1	पीपल्दा एनिकट निर्माण कार्य छिनोद, किशनगंज	30.48	EE/WR-III/Tech./Estt./2 07.04.2021	30.33	0.08
2	नागोरी एनिकट निर्माण एवं नहर मरम्मत कार्य शाहबाद जिला बारां	53.85	EE/WR-III/Tech./Estt./1 07.04.2021	53.06	0.13
	योग	84.33		83.39	0.21

अतः उक्त राशि का व्यय कलक्टर एवं अध्यक्ष सहरिया विकास समिति शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में स्वीकृति संख्या 71/2020 दिनांक 24.03.2021 की राशि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृति संख्या 71/2020 दिनांक 24.03.2021 में उल्लेख राशि 84.33 लाख में से विभागीय आदेश क्रमांक 9606-34 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में हस्तांतरित राशि पर देय कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत राशि रु. 1.26 लाख में से 0.25 प्रतिशत राशि रु. 0.21 लाख प्रोजेक्ट मोनिटरिंग हेतु आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में लौटाया जावे।

शर्त :-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) EPABX 2428721-24 फेक्स : 0294-2424750

ई-मेल : comm.tad@gmail.com वेबसाइट : www.tad.rajasthan.gov.in

2. राजस्थान लोक उपायन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्णानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजताई जावे।
4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटावे।
5. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे coram.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. निविदा आदि कारणो से कार्य मे विलम्ब के कारण लागत मे वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
7. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

— 30 —  
(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S.

आयुक्त

दिनांक : 30/7/21

क्रमांक : यथोपरि/ 19915-22

प्रतिलिपि :

1. निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड तृतीय बारं जिला बारां।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ ।
6. मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर